


महोदय,

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

ग्राम जालखेडा की जमाबंदी संवत् 2071-74
के खंटासं 80 में बाली बेवा बालचन्द उर्फ देवी वि
(समाप्त नाम गरी) हैं। किंतु बाली धर्मपति बालचन्द
इस क्रियागत उचित ही

20/5/18
30/5/18
SR


20/5/18
पटवारी
जालखेडा

208/00289

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार


रिपोर्ट पटवारी एवं व श्रुति व आधार पर
बेवा का धर्मपति किया जाता उचित है।

तहसीलदार
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

जा.फ. 369/18
30/5/18

आदेश

दृष्टव राय तहसीलदार रावतभाटा के आधार पर
ग्राम जालखेडा की जमाबंदी संवत् 2071-74 के खंटासं
सं. 80 में बाली बेवा बालचन्द के बजाय बाली धर्मपति
बालचन्द दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं।


उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा